कार्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर

(जलकल अनुभाग)

पत्रांकः–2333/1679/जलकल/न0पा0प0फ0 (2024–25) दिनांकः– 22/10/2024

ई–निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद, फतेहपुर के जलकल अनुभाग में 15वां वित्त आयोग (Tied Grant) से प्राप्त वित्तीय वर्ष 2022–23 की द्वितीय किस्त एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 की प्रथम व द्वितीय किस्त की धनराशि के अन्तर्गत जलापूर्ति व्यवस्था से सम्बन्धित पाइप लाइन विस्तार/निर्माण कार्यों हेतु जी0एस0टी0 रजिस्टर्ड अनुभवी फर्मो से पृथक–पृथक ई–निविदाएं दिनांक 04.11.2024 पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 12.11.2024 सांय 05:00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है, जो दिनांक 13.11.2024 को अपरान्ह 03:00 बजे खोली जायेंगी। इच्छुक फर्म/ठेकेदार निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश की ई–प्रोक्योरमेन्ट http://etender.up.nic.in पर ऑनलाइन क्रय कर डाउनलोड एवं अपलोड कर सकते है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	आगणन धनराशि GST रहित	10 प्रतिशत धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य जी. एस.टी. सहित (Non-refundable)	कार्य की अवधि
1	मोहल्ला राधानगर स्थित ओवर हेड टैंक के पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य।	331713.62	33172.00	944.00	01 माह
2	मोहल्ला सिविल लाइन बुलट चौराहा के पास स्थित रिबोर नलकूप हेतु पम्प हाउस का निमार्ण कार्य।	487336.32	48734.00	944.00	01 माह
3	मोहल्ला जयराम नगर पुलिस लाइन के पास स्थित रिबोर नलकूप हेतु पम्प हाउस का निमार्ण कार्य।	487336.32	48734.00	944.00	01 माह
4	मोहल्ला पक्का तालाब अटल बिहारी पार्क के पास स्थित रिबोर नलकूप हेतु पम्प हाउस का निमार्ण कार्य।	487336.32	48734.00	944.00	01 माह
5	मोहल्ला आवास विकास स्थित रिबोर नलकूप हेतु पम्प हाउस का निमार्ण कार्य।	487336.32	48734.00	944.00	01 माह
6	मोहल्ला सादीपुर में पी0डब्लू0 ऑफिस के पास स्थित नलकूप का पम्प हाउस मरम्मत कार्य।	487336.32	48734.00	944.00	01 माह
7	महर्षि ओवर हेड टैंक का मरम्मत कार्य।	964835.52	96484.00	1770.00	01 माह
8	मोहल्ला आवास विकास में टी0वी0 टावर के पास रिबोर नलकूप से मुख्य पाइप लाइन तक 200 मिमी व्यास डी.आई. पाइप राइजिंग मेन एवं अन्य सम्बन्धित कार्य।	629576.92	62958.00	1770.00	01 माह
9	मोहल्ला आवास विकास में ओवर हेड टैंक से पूर्व से उत्तर में श्री राकेश सचान मंत्री के मकान तक 200मिमी व्यास डी.आई. पाइप राइजिंग मेन शिफ्टिंग कार्य।	422617.21	42262.00	944.00	01 माह
10	मोहल्ला अजगवां नलकूप से मुख्य पाइप लाइन तक 150 मिमी व्यास डी.आई. पाइप राइजिंग मेन एवं अन्य सम्बन्धित कार्य।	844654.02	84466.00	1770.00	01 माह
11	मोहल्ला पक्का तालाब भिटौरा रोड में तिवारी तालाब से जानिब उत्तर में भिटौरा बाईपास चौराहा तक 160 एम0एम0 एच0डी0पी0 पाइप लाइन विस्तार कार्य।	1118501.49	111851.00	2360.00	01 माह
12	नगरीय क्षेत्र में 34 विभिन्न स्थानों पर 01 एच0पी0 मिनी नलकूप का अधिष्ठापन का कार्य।	6683333.76	668334.00	5900.00	03 माह
13	Supply, Fixing and Installation automatic SCADA System in Pumping Plant 15 Places With all Material, Labour,T&P, etc.	7082640.00	708264.00	5900.00	01 माह
14	वार्ड नं0 31, चंदियाना मोहल्ला सरांय स्थित नलकूप का रिबोरिंग कार्य।	3194922.00	319493.00	4720.00	03 माह
15	कार्य का नाम :–वार्ड नं0 02 आवास विकास जी0टी0 रोड से दक्षिण में मोहल्ला खलील नगर सी0सी0 रोड तक 160 एम0एम0 पी0वी0सी0 पाइप लाइन विस्तार कार्य।	956238.06	95624.00	1770.00	01 माह
16	मोहल्ला लोटाहा में शौचालय के पास से उत्तर में सीमा देवी के मकान तक 110एम0एम0 पी0वी0सी0 पाइप लाइन विस्तार तथा इण्टर कनेक्शन कार्य।	251042.32	25105.00	590.00	01 माह

पेज नं0......02

17	मोहल्ला खेलदार में राहत भाई के मकान से संलग्न गलियों तक 110एम0एम0 पी0वी0सी0 पाइप लाइन विस्तार तथा इण्टर कनेक्शन कार्य।	1512081.06	151209.00	2360.00	01 माह
18	मलाका स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लाण्ट में 10 एच0पी0 नलकूप का अधिष्ठापन कार्य।	692350.00	69235.00	1770.00	03 माह
19	वार्ड नं0 01–अजगवां, मोहल्ला उधन्नापुर नई बस्ती में नलकूप बोरिंग कार्य।	3194922.00	319493.00	4720.00	03 माह
20	वार्ड नं0 01–अजगवां, मोहल्ला उधन्नापुर नई बस्ती में अधिष्ठापित नलकूप से मुख्य पाइप लाइन तक 150 मिमी व्यास डी.आई. पाइप राइजिंग मेन एवं अन्य सम्बन्धित कार्य।	1122540.66	112255.00	2360.00	03 माह
21	वार्ड नं0 01–अजगवां, मोहल्ला उधन्नापुर नई बस्ती में नलकूप हेतु पम्प हाउस का निमार्ण कार्य।	487336.32	48734.00	944.00	03 माह
22	नगर पालिका परिषद, फतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत नालों में पानी की गुणवत्ता सुधार हेतु बायोरेमिडिएशन और फाइटोरेमेडिएशन का कार्य।	4804799.94	480480.00	5900.00	03 माह

उपरोक्त ई–निविदा की नियम व शर्तें नगर पालिका परिषद, फतेहपुर की वेबसाइट http://nppfatehpur.com तथा http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। निविदा एवं वांछित अभिलेख स्केन कर निविदा के साथ http://etender.up.nic.in पर अपलोड किये जाने होगे। नियमित रूप से उक्त वेबसाइट को देखते रहें, क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

21/10/24

(रवीन्द्र कुमार)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

(राज कुमार मौर्य)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. सम्पादक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र .... को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त निविदा सूचना अपने सम्मानित समाचार पत्र के अगले अंक में कम से कम स्थान पर प्रकाशित कराकर निर्धारित दर पर भुगतान हेतु दो प्रतियों में बिल प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
02. कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ज़िला पंचायत तथा न0पा0प0 फतेहपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
03. लेखाकार, नगर पालिका परिषद, फतेहपुर।
04. अवर अभियन्ता (जल), नगर पालिका परिषद, फतेहपुर।
05. गार्ड फाइल।

21/10/24

(रवीन्द्र कुमार)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

(राज कुमार मौर्य)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद,
फतेहपुर।

कार्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर

(जलकल अनुभाग)

ई–निविदा सूचना

कार्य क्रमांक 01 से 21 तक की नियम व शर्ते

01. सभी निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा शुल्क (Non-refundable) GST सहित एवं वांछित प्रत्येक कार्य का अलग–अलग 10 प्रतिशत धरोहर/जमानत धनराशि FDR/TDR/NSC के माध्यम तथा निविदा शुक्ल IDBI बैंक, फतेहपुर में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, फतेहपुर नाम से संचालित **खाता संख्या 1060104000145473 व IFSC Code IBKL0001060** में जमाकर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
02. निविदा के साथ तकनीकि बिड के अन्तर्गत वांछित (i) निविदा शुल्क जमा रसीद की प्रति एवं धरोहर/जमानत धनराशि, (ii) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, (iii) आयकर प्रमाण पत्र (पैन) (iv) अनुभव प्रमाण पत्र (03 वर्ष अनिवार्य) की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां अपलोड करना अनिवार्य होगा।
03. जिलाधिकारी महो0 द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र/बैंक सॉल्वेन्सी कार्य/आपूर्ति के आगणन धनराशि से अधिक का लगाना अनिवार्य होगा।
04. स्वीकृत आगणन दर से न्यूनतम/अधिक दर पर निविदा डालने वाले निविदादाता को न्यूनतम/अधिक दर पर कार्य/आपूर्ति करने का तकनीकि जस्टिफिकेशन साथ में संलग्न करना अनिवार्य है।
05. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी और न ही किसी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार होगा।
06. किसी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
07. ठेकेदार को आगणन के अनुसार कार्य करना होगा। कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर निविदा निरस्त कर फर्म/ठेकेदार द्वारा जमानत धनराशि को जब्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
08. यह कि स्वीकृत कार्या के तीन चरण की फोटोग्राफी प्रथम–कार्य प्रारम्भ होने के पहले, द्वितीय–कार्य चलते समय एवं तृतीय–कार्य समाप्त होने के पश्चात स्थल का देना अनिवार्य होगा।
09. शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य गुणवत्ता पूर्वक करना होगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी महो0 द्वारा गठित समिति से कराने पर कार्य संतोष जनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
10. शा0सं0 622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक निम्न निविदा पर प्रति एक प्रतिशत पर 0.5 प्रति प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न निविदा पर प्रति एक प्रतिशत पर 01 प्रतिशत की दर से परफार्मेन्स गारंटी मनी नियमानुसार अनुबन्ध की कार्यवाही के समय संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. नियमानुसार जी0एस0टी0 अलग से देय होगी।
12. सर्वाधिकार नगर पालिका परिषद, फतेहपुर में सुरक्षित रहेगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर होगा।

अवर अभियन्ता (जल)
नगर पालिका परिषद
फतेहपुर

21/10/24
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
फतेहपुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर

(जलकल अनुभाग)

ई–निविदा सूचना

कार्य क्रमांक 22 की नियम व शर्ते

01. निविदा शुल्क (Non-refundable) GST सहित IDBI बैंक, फतेहपुर में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, फतेहपुर नाम से संचालित **खाता संख्या 1060104000145473 व IFSC Code IBKL0001060** में जमाकर एवं 10 प्रतिशत धरोहर/जमानत धनराशि FDR/TDR/NSC (अधिशासी अधिकारी के पक्ष में बन्धक हो) के रूप में निविदा के साथ अपलोड करना तथा मूलप्रति निविदा खुलने से पूर्व कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
02. निविदा के साथ तकनीकि बिड के अन्तर्गत वांछित (i) निविदा शुल्क जमा रसीद की प्रति एवं धरोहर/जमानत धनराशि, (ii) जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, (iii) आयकर प्रमाण पत्र (पैन) की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां अपलोड करना अनिवार्य होगा।
03. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र (कम से कम 50 लाख का) अपलोड करना अनिवार्य होगा।
04. निविदादाता द्वारा सम्बन्धित कार्य हेतु अनुभव होना अनिवार्य है सम्बन्धित कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
05. स्वीकृत आगणन दर से न्यूनतम/अधिक दर पर निविदा डालने वाले निविदादाता को न्यूनतम/अधिक दर पर कार्य/आपूर्ति करने का तकनीकि जस्टिफिकेशन साथ में संलग्न करना अनिवार्य है।
06. निविदा आवेदन के लिए बायोरेमिडिएशन और फाइटोरेमेडिएशन कार्य एवं संचालन करने का अनुभव होना अनिवार्य होगा। पूर्ण किये गये कार्यो का दस्तावेज साक्ष्य निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
07. निविदा आवेदन के लिए बायोरेमिडिएशन 02 एम0एल0डी0 प्रतिदिन और फाइटोरेमेडिएशन कार्य एवं संचालन करने का 20 एम0एल0डी0 का अनुभव होना अनिवार्य होगा। पूर्ण किये गये कार्यो का दस्तावेज साक्ष्य निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
08. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी और न ही किसी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार होगा।
09. किसी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।
10. किसी भी बार काउन्सिल में पंजीकृत होने वाले किसी भी निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने का अनुमति नहीं होगा।
11. अनुबन्ध जारी करने के उपरान्त 12 महीने की समयावधि तक एजेन्सी द्वारा 24 घण्टे निगरानी करानी होगी एवं ड्रेनसाइट पर सम्बन्धित प्रति दिन की गतिविधि लॉग बुक स्वयं बनाया जाना अनिवार्य होगा।
12- केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जारी मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। जांच के समय UPPCB द्वारा रिपोर्ट संतोष जनक न होने की दशा में समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, एवं किसी दशा में CPCB विभाग अथवा NGT किसी प्रकार के दण्ड की पूर्ति ठेकेदार द्वारा की जायेगा।
13. समय–समय पर आवश्यकतानुसार BOD, COD, TSS, PH आदि का रिपोर्ट उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा जांच कराकर स्वयं के व्यय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. निविदादाता द्वारा अपने कर्मचारियों को वर्दी एवं पी0पी0ई0 किट स्वयं प्रदान करना होगा।
15. फर्म/ठेकेदार द्वारा कार्या की मासिक प्रगति रिपोर्ट पालिका अवर अभियन्ता के माध्यम से प्रति माह अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने अथवा कार्य में विलम्ब होने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा विधिक कार्यवाही जैसे ठेका निरस्तीकरण/अर्थदण्ड अरोपण की कार्यवाही की जा सकती है, इसमें फर्म/ठेकेदार को कोई आपत्ति नही होगी।
16. ठेकेदार को आगणन के अनुसार कार्य करना होगा। कार्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर निविदा निरस्त कर फर्म/ठेकेदार द्वारा जमानत धनराशि को जब्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी।
17. यह कि स्वीकृत कार्या के तीन चरण की फोटोग्राफी प्रथम–कार्य प्रारम्भ होने के पहले, द्वितीय–कार्य चलते समय एवं तृतीय–कार्य समाप्त होने के पश्चात स्थल का देना अनिवार्य होगा।
18. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एन0जी0टी0) द्वारा जारी कोई भी परिपत्र या निर्देश ठेकेदार पर लागू होगा।

पेज नं0.........02

19. कार्यादेश जारी होने के बाद कार्य स्थल पर कार्य कराने वाले सभी मजदूरों का श्रम विभाग में पंजीकृत कराकर नगर पालिका परिषद, फतेहपुर में सूची प्रस्तुत करना होगा।
20. शासन/निदेशालय द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
21. शासन द्वारा निर्धारित मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य गुणवत्ता पूर्वक करना होगा, जिसका सत्यापन जिलाधिकारी महो0 द्वारा गठित समिति से कराने पर कार्य संतोष जनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
22. ठेकेदार आपदा सम्बन्धित प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का विधिवत पालन करेगा तथा कोविड–19 या किसी अन्य आपदा/महामारी के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए दिया निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
23. निदेशक महोदय स्थानीय निकाय द्वारा जारी किये गये शासनादेश सं0 **TC314/8DLP/2020** दिनांक 01.01.2021 का नियम एवं शर्त निविदादाता द्वारा अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा, जो ई–निविदा के साथ संलग्न है।
24. शा0सं0 622/23–12–2012–2 आडिट/08 टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक निम्न निविदा पर प्रति एक प्रतिशत पर 0.5 प्रति प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक निम्न निविदा पर प्रति एक प्रतिशत पर 01 प्रतिशत की दर से परफार्मेन्स गारंटी मनी नियमानुसार अनुबन्ध की कार्यवाही के समय संलग्न करना अनिवार्य होगा।
25. नियमानुसार जी0एस0टी0 अलग से देय होगी।
26. बायो कल्चर का उत्पादक के साथ MoU होना अनिवार्य होगा, साथ में प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
27. सम्बंधित फर्म को आई०एस०ओ० 9001–2015 एवं 14001–2015 में पंजीकृत एवं निविदा के साथ प्रपत्र अपलोड करना अनिवार्य है ।
28. पोर्टल पर निविदा डालने के उपरान्त निविदादाता को उक्त कार्य (बायोरेमेडिएशन) हेतु कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुतीकरण (Presentation) देना अनिवार्य होगा ।
29. निविदा दो भागो में अपलोड की जाएगी जिसमे पहला भाग तकनीकी निविदा व दूसरा वित्तीय निविदा होगी। समिति द्वारा पहले तकनीकी निविदा खोली जाएगी। तकनीकी निविदा में सक्षम पायी गयी फर्मों/ठेकेदारों की ही वित्तीय निविदा खोली जाएगी ।
30. सम्बंधित फर्म का MSME उद्योग में पंजीकृत होना अनिवार्य है उक्त प्रपत्र एफ०डी०आर०/एन०एस०सी० छूट के लिए नहीं होगा ।
31. निविदादाता द्वारा सम्बन्धित कार्य हेतु अनुभव होना अनिवार्य है सम्बन्धित कार्यादेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
32. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित 100 रू० कीमत के स्टाम्प पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा।
33. सर्वाधिकार नगर पालिका परिषद, फतेहपुर में सुरक्षित रहेगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर होगा।

अवर अभियन्ता (जल)
नगर पालिका परिषद
फतेहपुर

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
फतेहपुर